



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012021-224296
CG-DL-E-08012021-224296

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]
No. 10]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2021/पौष 18, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2021/PAUSHA 18, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2021

सं. 37 / 2015–2020

विषय: मैसर्स द आल इण्डिया प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (नॉर्थ जोन) गुरुग्राम, हरियाणा को परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत सूचीबद्ध करना—उदगम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने के लिए अधिकृत करने के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/73/एम16/पीसी-II (ख)/ई-17064.—विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा मैसर्स आल इंडिया प्लास्टिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (नॉर्थ जोन), गुरुग्राम को उदगम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने के लिए अधिकृत करते हैं।

2. तदनुसार उपर्युक्त अभिकरण के नाम को विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2ड. (उदगम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने के लिए अधिकृत अभिकरणों की सूची) की क्रम सं. 4 (हरियाणा) में शामिल किया जाता है।

मैसर्स द आल इण्डिया प्लास्टिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (नॉर्थ जोन)

प्लॉट सं. 232, सेक्टर 18, फेज-4

उद्योग विहार, गुरुग्राम

हरियाणा-122016

दूरभाष सं. 0124-4050005

0124-4050006

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव— मैसर्स द आल इण्डिया प्लास्टिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (नॉर्थ जोन), गुरुग्राम, हरियाणा को उदगम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत सूची में शामिल किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 8th January, 2021

No. 37/2015-2020

Subject: Enlistment under Appendix 2E of M/s The All India Plastics Manufacturers' Association (North Zone), Gurugram, Haryana - Authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential) - reg.

F.No. 01/93/180/73/AM-16/PC.II(B)/E-17064.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby authorizes M/s All India Plastics Manufacturers' Association (North Zone), Gurugram to issue Certificate of Origin (Non Preferential).

2. Accordingly, name of the above agency is added at Serial No.4 (Haryana) of Appendix 2E [List of Agencies Authorized to issue Certificate of Origin (Non-Preferential)] to Appendices & Aayat Niryat Forms of FTP 2015-2020.

M/s The All India Plastics Manufacturers' Association (North Zone),
Plot No. 232, Sector -18, Phase-4,
Udyog Vihar, Gurugram
Haryana - 122016
Tel. No.: 0124 4050 005
0124 4050 006

3. **Effect of this Public Notice:** M/s The All India Plastics Manufacturers' Association (North Zone), Gurugram, Haryana is enlisted under Appendix 2E of FTP, 2015-2020 for issuing Certificate of Origin (Non-Preferential).

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.